

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक :- सम्बद्धता/ 315
दिनांक :- 17.01.2007

सचिव,

मॉडर्न कालेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज,
आनन्द इण्डस्ट्रीयल एरिया, मोहन नगर,
गाजियाबाद

महोदय,

माननीय कुलाधिपति सचिवालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या-ई0स0 2495/जी.एस. दिनांक 30.11.2006 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कुलाधिपति महोदय ने मॉडर्न कालेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, मोहन नगर, गाजियाबाद संस्थान को उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) के अधीन स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ शिक्षण सत्र 2004-2005 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 4607/70-2-2004-3(19) /2004, दिनांक 04.01.2005 के क्रम में मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल द्वारा संदर्भित संस्था की जाँच कराई गयी। जाँच के समय संस्था में पाई गयी कमियाँ/अनियमितताओं को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा उक्त संस्था की सम्बद्धता उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(9) के अंतर्गत समाप्त किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया। महाविद्यालय में विद्यमान कमियों/अनियमितताओं के सम्बन्ध में संस्थान एवं विश्वविद्यालय से आख्या प्राप्त की गयी। विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित की गयी नवीनतम आख्या दिनांक 20/22.09.2006 एवं 14/17.11.2006 को दृष्टिगत रखते हुए सम्युक्त विचारोपरान्त मॉडर्न कालेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, मोहन नगर, गाजियाबाद को स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के बी0एड0 पाठ्यक्रम में सौ सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ पूर्व प्रदत्त सम्बद्धता को शिक्षण सत्र 2005-06 से निरन्तर बनाये रखने की स्वीकृति प्रदान करते हुए संस्था को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में उनके द्वारा प्रबन्धकीय कोटे में प्रवेश एवं आरक्षण नियमों का विधिवत पालन किया जायेगा तथा सम्बद्धता हेतु निर्धारित समस्त शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी अन्यथा संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

उक्त संदर्भ में कुलपति जी के आदेशानुसार आपके संस्थान को बी0एड0 पाठ्यक्रम में शिक्षण सत्र 2005-2006 से कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में उपरोक्त शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है तथा निर्देश दिया जाता है कि संदर्भित पाठ्यक्रम में प्रवेश विश्वविद्यालय/राजभवन के निर्देशों के अन्तर्गत ही किये जायेंगे।

भवदीय,

(एस0सी0 गुप्ता)

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सचिव कुलपति को कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, कमेटी सैल, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय को आगामी कार्यपरिषद की बैठक के अनुमोदनार्थ।
5. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

(एस0सी0 गुप्ता)

कुलसचिव

प्रेषक,

कामता प्रसाद सिंह,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
उ०प्र०, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-11

लखनऊ: दिनांक: 28 अगस्त, 2015

विषय- निजी संस्थान मार्डन कालेज आफ प्रोफेशनल स्टडीज, 431, आनन्द इंडस्ट्रियल एरिया, मोहननगर, गाजियाबाद को बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी संस्थान मार्डन कालेज आफ प्रोफेशनल स्टडीज, 431, आनन्द इंडस्ट्रियल एरिया, मोहननगर, गाजियाबाद को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरांत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2013-14 से 50 (पचास) सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जाती है-

- (1) संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
- (2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन०सी०टी०ई० तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाये जाने वाले नियम लागू होंगे।
- (3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय-सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
- (5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा। यह अभिलेख स्थायी होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
- (6) संस्थान द्वारा अपनी वेब-साइट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेब-साइट पर किया जायेगा।
- (7) प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक-17.03.2015 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के आधार पर बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2013-14 से 50 (पचास) सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन०सी०टी०ई० के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

भवदीय,

(कामता प्रसाद सिंह)

अनु सचिव।

संख्या- (1)/15-11-2015, तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, हंस भवन, 01 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, पिन-110002
- 2- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, चौथी मंजिल, जीवन निधि-II, एल०आई०सी० बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर 302005, राजस्थान।
- 3- सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 4- प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, सम्बन्धित जनपद।
- 5- सचिव/प्रबन्धक, मार्डन कालेज आफ प्रोफेशनल स्टडीज, 431, आनन्द इंडस्ट्रियल एरिया, मोहननगर, गाजियाबाद।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद सिंह)

अनु सचिव।

28/8/15

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/1658

दिनांक : 14-7-2016

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-975/79-वि-1-14-1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन **मॉडर्न कालेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, मोहन नगर (गाजियाबाद)** को वाणिज्य एवं विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर **बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0** पाठ्यक्रम (एक-एक अतिरिक्त सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक **01.07.2016** से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

01. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
02. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा-प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
03. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
04. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
05. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

अतः दिनांक 14.07.2016 को आहूत कार्य परिषद की स्वीकृति के आलोक में **मॉडर्न कालेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, मोहन नगर (गाजियाबाद)** को वाणिज्य एवं विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर **बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0** पाठ्यक्रम (एक-एक अतिरिक्त सैक्शन) में उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक **01.07.2016** से **सम्बद्धता** की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे। यहाँ यह भी सूच्य है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत यदि वर्तमान सत्र में संस्थान में प्रवेशित छात्रों को समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लाभ प्रदान नहीं किया जाता है तो इसके लिये विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, मॉडर्न कालेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, मोहन नगर (गाजियाबाद)।
3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, कमेंटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल हेतु।

कुलसचिव

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/646

दिनांक : 19/5/2022

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-975/79-वि-1-14-1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन मॉडर्न कालेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, आनन्द इण्डस्ट्रीज एरिया, मोहन नगर, गाजियाबाद को कला संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०ए० (अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, गृहविज्ञान, मनोविज्ञान) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2021 से आगामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

01. संस्था द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
02. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इम्तिह कर्मियों यथा-प्रमूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन०वी०सी० प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कर्मियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
03. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इम्तिह कर्मियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों निरन्तर पूरी कर रहा है।
04. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
05. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक 13.10.2021 के आलोक में कुलपति जी के आदेशानुसार मॉडर्न कालेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, आनन्द इण्डस्ट्रीज एरिया, मोहन नगर, गाजियाबाद को कला संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०ए० (अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, गृहविज्ञान, मनोविज्ञान) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2021 से आगामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूचित है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, मॉडर्न कालेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, आनन्द इण्डस्ट्रीज एरिया, मोहन नगर, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, कर्मचारी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनेट का इस आशय के साथ प्रेषित कि वह सर्वनिर्गत संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम वेबसाइट पर डालने का कार्य करे।
8. गार्ड फाइल हेतु।

SAM 2 (579)

कुलसचिव

19/5/2022

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/5330

दिनांक : 09.2.2023

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-975/79-वि-1-14-1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन मार्डन कालेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, मोहननगर, गाजियाबाद को कला संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0काम0 पाठ्यक्रम (एक सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2022 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

01. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
02. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा-प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
03. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों निरन्तर पूरी कर रहा है।
04. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
05. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।


माननीय कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक 16.06.2022 के आलोक में मार्डन कालेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, मोहननगर, गाजियाबाद को कला संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0काम0 पाठ्यक्रम (एक सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2022 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, मार्डन कालेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, मोहननगर, गाजियाबाद।
3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, कमेटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, इटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करे।
8. गार्ड फाइल हेतु।


09.02.2023
कुलसचिव

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/3243
दिनांक : 23.06.15

सम्बद्धता आदेश

शारान के पत्र संख्या सम्ब0-275/सत्तर-2-2014-2(275)/2014, दिनांक 24.06.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन मार्डन कालेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, आनन्द इण्डस्ट्रीयल एरिया, मोहन नगर, गाजियाबाद को शिक्षा संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर एम0एड0 पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन लीजडीड एवं खतौनी, नजरी नक्शा व गाटों की संयुक्तता प्रमाण पत्र तहसीलदार से प्रामाणित वांछित, रू0 100/-के नोटरी पर सदस्य का फोटो प्रामाणित वांछित, पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों का परीक्षाफल विश्वविद्यालय से प्रामाणित वांछित, सक्षम प्राधिकारी से भवन का नक्शा प्रामाणित वांछित, सामूहिक नकल में आरोपित न होने का अद्यतन प्रमाण पत्र वांछित होने, शिक्षकों की नियुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र वांछित होने तथा प्राभूत धनराशि की एफ0डी0आर0 कुलसचिव के नाम बंधक न होने के दृष्टिगत दिनांक 01.07.2014 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

01. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
02. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा-प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अगिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
03. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
04. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
05. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई

सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति के आदेशानुसार मार्टिन कालेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, आनन्द इण्डस्ट्रीयल एरिया, मोहन नगर, गाजियाबाद को शिक्षा संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर एम0एड0 पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2014 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, मार्टिन कालेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, आनन्द इण्डस्ट्रीयल एरिया, मोहन नगर, गाजियाबाद
3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, कर्मैटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर अलग का कष्ट करें।
8. मार्टिन फाइल हेतु।

कुलसचिव

कुलसचिव

28/11/15